पत्रांक –[illegible]02/उ0नि0/(डी0जी0सेट अनुदान बैठक)19–01/2012............

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार (लि0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ....

विषयः– औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक ईकाइयों को ₹ 6,79,318/– (कुल छः लाख उनासी हजार तीन सौ अठारह रूपए मात्र) के अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रो0 नीति, 2011 के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति के द्वारा दिनांक–27.09.16 की बैठक में लिए गए निर्णय तद्नुसार बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–3868 दिनांक–25.10.16 के आलोक में निम्नांकित औद्योगिक ईकाइयों को उनके नाम के सामने अंकित विवरण के अनुसार डी0जी0सेट/कैप्टिभ पावर प्लांट अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्त्तों के साथ प्रदान की जाती हैः–

क्रमांक	ईकाई का नाम/पता	अनुदान की राशि
1	सर्वश्री मंगलम् पॉलीमर्स इण्डस्ट्रीज, वृहत् औद्योगिक प्रांगण, बरारी, भागलपुर	₹ 3,57,500/–
2	सर्वश्री माँ धनलक्ष्मी राईस मिल, धमनियाँ, गड़हनी, भोजपुर	₹ 3,21,818/–
	कुल	₹ 6,79,318/–
		(कुल छः लाख उनासी हजार तीन सौ अठारह रूपए मात्र)

(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य के बंद होती है तो भुगतान की गई राशि सूद समेत ईकाई से वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों/ प्रमाण–पत्रों/ अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।

2. उक्त राशि का व्यय वहन उद्योग विभागीय राज्यादेश संख्या–2492, दिनांक–11.07.2016 एवं आवंटनादेश संख्या–41/आं0 दिनांक–19.07.2016 के आलोक में मांग संख्या–23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष–0160–प्री–प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड– P2852801020160 राज्य योजना स्कीम कोड–IND–5432 विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद में आवंटित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

कृ0प0उ0

5. इस राशि की निकासी "पूर्ण प्राप्ति रसीद" पर कोषागार फार्म संख्या 25 पर की जाएगी।

6. इस राशि का भुगतान संबंधित **ईकाइयों** को **डिमाण्ड ड्राफ्ट/RTGS/NEFT** के माध्यम से की जाएगी।

ह0/–
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–............. पटना, दिनांक............

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया ड्राफ्ट पर ईकाई के नाम के साथ–साथ खाते का विवरण भी अंकित किया जाए।

ह0/–
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–3999 पटना, दिनांक 08.11.16

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/ सभी संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/ कार्यकारी निदेशक, बियाडा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा–01 (सरकार)/ आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ **सभी संबंधित ईकाइयों** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 4/11
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना